भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4750
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मोटापे और अधिक वजन के बढ़ते मामले

†4750. **श्री गौरव गोगोई:**
डॉ. संबित पात्राः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही के लांसेट अध्ययन की जानकारी है जिसमें देश में विशेषकर बच्चों और किशोरों में मोटापे और अधिक वजन के मामलों में खतरनाक वृद्धि को उजागर किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विभिन्न आयु समूहों और क्षेत्रों में मोटापे और अधिक वजन की व्याप्तता के संबंध में राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) आहार संबंधी आदतों, जीवनशैली में बदलाव और शहरीकरण सहित वृद्धि के ऐसे मामलों के लिए कौन-कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं;
(घ) सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य अभियानों, प्रसंस्कृत और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के संबंध में विनियामक उपायों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित मोटापे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और
(ङ) क्या सरकार इस बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को रोकने के लिए विशिष्ट नीतियों को लागू करने की योजना बना रही है, जैसे कि कठोर लेबलिंग कानून, विद्यालय-स्तरीय हस्तक्षेप और शर्करा और अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर कराधान और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) 'द लैंसेट' (2025) में ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट कोलैबोरेटर्स के विश्लेषण के अनुसार, भारत में लड़कों में मोटापे की व्याप्तता वर्ष 1990 में 0.46 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021 में 1.3 करोड़ हो गई और यह वर्ष 2050 तक 1.6 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। लड़कियों में, यह वर्ष 1990 में 0.45 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021 में

1.24 करोड़ हो गई, और वर्ष 2050 तक यह 1.44 करोड़ होने का अनुमान है। इस अध्ययन का विवरण https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39667386/ पर उपलब्ध है:

(ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफ़एचएस)-5 (2019-21) के अनुसार, कुल मिलाकर, 24% भारतीय महिलाएँ और 23% भारतीय पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के 3.4% बच्चे अधिक वजन (ऊंचाई के हिसाब से वजन) वाले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण (वर्ष 2017-18) के अनुसार, वयस्कों (18-69 वर्ष) में मोटापे की व्याप्तता 6.2% है।

(ग) और (घ) अस्वास्थ्यकर आहार, गतिहीन जीवनशैली और पर्यावरणीय कारक मोटापे की बढ़ती व्याप्तता के मुख्य कारक हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत, शारीरिक कार्यकलाप में कमी और जीवनशैली में बदलाव ने इस बढ़ते संकट को और बढ़ा दिया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी प्रभावित हो रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में बच्चों में मोटापे सहित पोषण की समस्या से निपटने के लिए अंतक्षेप सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) संबंधी निम्नलिखित कार्यनीति लागू करता है।

i भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) द्वारा शुरू किए गए 'ईट राइट मूवमेंट' का उद्देश्य बच्चों सहित नागरिकों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाकर अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने में सक्षम बनाना है और लोगों में यह जागरूकता पैदा करना है कि नमक, चीनी और वसा युक्त खाद्य पदार्थों का नियमित और अत्यधिक सेवन मोटापे का कारण बनता है।

ii भारत सरकार 'फिट इंडिया मूवमेंट' जैसे देशव्यापी आंदोलनों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन पर ध्यान केंद्रित करती है, जहां लोगों को स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

iii. राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के माध्यम से शारीरिक कार्यकलापों सहित स्वस्थ जीवन के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों को भी बढ़ावा दिया जाता है:

- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सामुदायिक स्तर पर आरोग्य कार्यकलापों और लक्षित संचार को बढ़ावा दिया जाता है।
- आयुष मंत्रालय द्वारा योग संबंधी कार्यकलाप संचालित किए जाते हैं।
- एनपी-एनसीडी के तहत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता सृजन कार्यकलापों (आईईसी) के लिए वित्तीय सहायता।
- स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक एएएम में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है।

(ङ) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जिसमें पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाना अनिवार्य किया गया है। इस विनियमन के अनुसार, उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाने के लिए पैक के पीछे पोषक तत्वों और अनुशंसित दैनिक खुराक (आरडीए) में उनके योगदान को प्रतिशत में प्रदर्शित करना आवश्यक है। खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफ़बीओ) के लिए इन विनियमों के अनुसार खाद्य पैकेज पर लेबल लगाना अनिवार्य है।

एफ़एसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020 को भी अधिसूचित किया है। इस विनियम में स्कूल कैंटीन/मेस परिसर/हॉस्टल किचन में या स्कूल परिसर के 50 मीटर के भीतर स्कूली बच्चों को वसा, नमक और चीनी (एचएफ़एसएस) की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और इन क्षेत्रों में ऐसे उत्पादों के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन विनियमों का उद्देश्य स्कूलों को स्कूली बच्चों के बीच सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और स्कूल परिसर को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन, स्थानीय और मौसमी भोजन और निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार भोजन की बर्बादी न करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईट राइट स्कूल में बदलना है।

इसके अलावा, एफ़एसएसएआई ने चरणबद्ध तरीके से ट्रांस-फैट सामग्री को व्यवस्थित रूप से कम कर दिया है, जिससे 2022 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा पर ≤2% की सीमा प्राप्त हो गई है। आज से थोड़ा कम अभियान उपभोक्ताओं को आहार संशोधनों के माध्यम से वसा, नमक और चीनी का सेवन धीरे-धीरे कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा चेतना, स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने और मोटापे के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया अभियान शुरू किए हैं, जैसे - हर लेबल कुछ कहता है, मोटापे से लड़ो, मोटापा रोको आदि।

अब तक, स्वस्थ भोजन के विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में 400 से अधिक ईट राइट मेले/ईट राइट मिलेट्स मेले आयोजित किए जा चुके हैं। ईट राइट इंडिया पहल के तहत, 2209 ईट राइट कैंपस, 194 ईट राइट स्ट्रीट फूड हब, 213 ईट राइट स्टेशन और 2025 ईट राइट स्कूल को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित किया गया है।

*****